निधर्नता उन्मूलन में मनरेगा कार्यक्रम की भूमिका : अनुसूचित जातियों के विशेष सन्दर्भ में।

डॉ प्रियंका एन0 रूवाली*, उपमा द्विवेदी**

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः दैनिक आमदनी पर निर्भर है। यह दैनिक आमदनी अकुशल, अस्थायी एवं शारीरिक श्रम से अर्जित की जाती है। अपर्याप्त श्रम माँग अथवा अप्रत्याशित आपदा की स्थिति (जैसे प्राकृतिक आपदा या बीमारी) में लोगों की रोजगार की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या होने के कारण इसके बहुत ही व्यापक परिणाम होते हैं। जिनमें सबसे विकट है निर्धनता एवं बेरोजगारी। निर्धनता एवं बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कल्याणकारी कार्ययोजनाओं को अपनाया जा रहा है। इस प्रकार की योजनाओं में प्रायः अकुशल श्रमिकों को सार्वजनिक कार्यों (सिंचाई इन्फ्रास्ट्रक्चर, वृक्षारोपण, मृदासंरक्षण, सड़क निर्माण आदि) में लघुकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। भारत में इस प्रकार की योजनाओं का पिछले चार दशकों से संचालन किया जा रहा है। जिसमें भारतीय ग्रामीण विकास रिर्पोट 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियाँ/जनजातियाँ सर्वाधिक गरीब वर्ग हैं। इसके अनुसार 2004–05 में 62.3% एवं 53.5% अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ निर्धन थीं, 2011–12 में 31% और 45% हैं। इस आँकड़े के आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में निर्धनता अत्यधिक है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) सबसे नई एवं प्रभावशाली योजना के रूप में उभरी है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के विशेष संदर्भ में, निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालना है।

मुख्य शब्द– निर्धनता, मनरेगा, अनुसूचित जातियाँ , बेरोजगारी।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः दैनिक आमदनी पर निर्भर है। यह दैनिक आमदनी अकुशल, अस्थायी एवं शारीरिक श्रम से अर्जित की जाती है। अपर्याप्त श्रम माँग अथवा अप्रत्याशित आपदा की स्थिति (जैसे प्राकृतिक आपदा या बीमारी) में लोगों की रोजगार की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या होने के कारण इसके बहुत ही व्यापक परिणाम होते हैं। जिनमें सबसे विकट है निर्धनता। विकासशील देश निर्धनता एवं बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कल्याणकारी कार्ययोजनाओं को अपना रहे हैं। इसका मूल सिद्धान्त है रोजगार सृजन द्वारा निर्धनता उन्मूलन। इस प्रकार की योजनाओं में प्रायः अकुशल श्रमिकों को सार्वजनिक कार्यों (सिंचाई इन्फ्रास्ट्रक्चर, वृक्षारोपण, मृदासंरक्षण, सड़क निर्माण आदि) में लघुकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। भारत में इस प्रकार की योजनाओं का पिछले चार दशकों से संचालन किया जा रहा है। जिसमें महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) सबसे नई एवं प्रभावशाली योजना के रूप में उभरी है। इस योजना की शुरूआत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, जो सितम्बर 2005 में पारित हुआ, से सर्वप्रथम आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में 2 फरवरी 2006 से हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को तीन चरणों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश के ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया, वर्तमान में यह देश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। प्रारम्भ में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) कहा गया था, जिसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) कर दिया गया है। मनरेगा में सूखा एवं अकाल, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा वनवासी तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र इसी सन्दर्भ में मनरेगा के योगदान की विवेचना एवं समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। भारत की सर्वाधिक वंचित एवं गरीब आबादी अनुसूचित जातियाँ हैं जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या है। ये ऐतिहासिक रूप से 'दलित' एवं अत्यन्त ही निर्धन सामाजिक वर्ग के रूप में जानी जाती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं ग्रामीण अनुसूचित जातियों के निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा के योगदान का एक समीक्षात्मक अध्ययन है। यह शोध पत्र द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है।

* सह–प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल

** शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल

अवधारणात्मक व्याख्या

निर्धनताः–

निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने पर आश्रित सदस्यों की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण पूरा करने में असमर्थ होता है। जैसे– रोटी, कपड़ा, मकान इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो इसे निर्धनता या गरीबी कहा जाता है। यूनेस्को ने निर्धनता को दो वर्गो में वर्गीकृत करते हुए परिभाषित किया है, सापेक्ष एवं निरक्षेप निर्धनता (Relative and Absolute Poverty)। निरपेक्ष रूप से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिन्हें बुनियादी आवश्यकताएं जैसे–भोजन, आवास, वस्त्र भी प्राप्त नहीं हो पाता है। सापेक्ष निर्धनता का तात्पर्य एक व्यक्ति के पास सापेक्षित रूप से दूसरे व्यक्तियों से कम धन एवं सम्पदा के होने से है, जैसे– निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग से सापेक्षित रूप से निर्धन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता : –

विश्व बैंक संकेतों के आधार पर भारत की 67 प्रतिशत ग्रामीण आबादी में से 25.7 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं एवं उनका राष्ट्रीय आय में हिस्सा मात्र 8.5 प्रतिशत है। भारतीय विकास रिपोर्ट 2013–14 के अनुसार 6.84 प्रतिशत जनसंख्या 'अत्यधिक गरीब' की श्रेणी में आती है जो 2004–05 में 16.3 प्रतिशत थी। इसी प्रकार इन गरीबों में कृषि मजदूर 10 प्रतिशत, अन्य मजदूर (श्रमिक) 33 प्रतिशत एवं स्वयं कृषि करने वाले 22 प्रतिशत हैं अर्थात् सर्वाधिक गरीबों में कृषि एवं श्रम पर निर्भर लोग अधिक हैं।

अनुसूचित जातियाँ : –

अनुसूचित जातियाँ भारतीय समाज की वे जातियाँ हैं, जिन्हें परम्परागत रूप में अस्पृश्य समझा जाता रहा है और अस्पृश्यता के आधार पर ये जातियाँ अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनितिक अयोग्यताओं की शिकार या पीड़ित रही हैं और इसलिए अनेक समस्याओं से घिरी रहती हैं और आज भी इनकी स्थिति काफी गंभीर है। वर्तमान समय में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के फलस्वरूप सरकार द्वारा बनाई गई सूची के अन्तर्गत जिन अनुसूचित जातियों को स्थान दिया गया है उन्हें अस्पृश्य जाति, अछूत, दलित, बहिष्कृत जाति, हरिजन आदि शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। (आहूजा : 1995)। अनुसूचित जाति अब मूलतः एक संवैधानिक अवधारणा है। अनुसूचित जाति ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए बनाया तथा प्रयुक्त किया गया था। मजूमदार (1952) के अनुसार – ''अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक व राजनितिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं जिनमें से अधिकतर निर्योग्यताओं को परम्परा द्वारा निर्धारित करके सामाजिक रूप से उच्च जातियों द्वारा निर्धारित करके सामाजिक रूप से उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया है''। के0 एल0 शर्मा (1994) के अनुसार – ''अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े।''

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियाँ – भारत की सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत जनगणना– 2011 के अनुसार 21.53 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्ति परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हैं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में हर पाँचवा व्यक्ति दलित वर्ग से सम्बन्धित है। इसी जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हर तीसरे परिवार के पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं है तथा वह एक कमरे के कच्चे मकानों में रहता है।

अनुसूचित जातियाँ एवं निर्धनता

भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति सर्वाधिक गरीब वर्ग हैं। इसके अनुसार 2004–05 में 62.3% एवं 53.5% अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ निर्भर थीं जो 2011–12 में 31% और 45% हैं। इस आँकड़े के आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में निर्धनता अत्यधिक है। यह देखना भी रोचक है कि 2004–05 एवं 2011–12 में इनकी संख्या में काफी गिरावट देखने में आती है। इसकी व्याख्या में अलग–अलग तर्क दिये जाते हैं। कुछ लोग इसे आर्थिक विकास से जोड़ कर देखते हैं एवं कुछ इसके पीछे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का योगदान मानते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता एक गम्भीर समस्या है और उसमें भी अनुसूचित जाति वर्गों में यह और भी चिन्ताजनक है। प्रत्येक देश की विकास योजनाओं में निर्धनता का उन्मूलन प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। भारत में इस दिशा में भी काफी प्रयास किये जा रहे हैं।

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना :–

इसे संक्षिप्त में 'मनरेगा' भी कहा जाता है। यह राज्य द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, राज्य द्वारा निर्धनता के उन्मूलन के लिये कई प्रकार की योजनाओं का एक उदाहरण है। राज्य द्वारा निर्धनता के उन्मूलन के लिये कई प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। एक सिद्वान्त है कि रोजगार को पैदा करने से निर्धनता को खत्म किया जा सकता है (Poverty Alleviation through Employment Generation)। जब रोजगार के मौके पैदा होते हैं तो नागरिकों की आय बढ़ती है और निर्धनता में कमी आती है। मनरेगा भी इसी सिद्वान्त के आधार पर चलने वाली योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। आरम्भ में देश के चुनिंदा 200 जिलों में इसका विस्तार किया गया। 5 वर्ष के मूल लक्ष्य की तुलना में महात्मा गाँधी नरेगा आरम्भ होने के तीन वर्षो के भीतर 1 अप्रैल 2008 से इसका सभी जिलों में विस्तार किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के तहत राज्य में इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 22 जिलों में शुरू किया गया। 15 मई 2007 को 17 और जिलों में इसका विस्तार किया गया और 1 अप्रैल 2008 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोजगार की गारण्टी प्रदान करना है। इस अधिनियम ने रोजगार सृजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साहित्य पुनरावलोकन

1. **हक टी (2011)** ने एक व्यापक सर्वे किया जिसमें 13 राज्यों के 23 जिलों में SC/ST जनसंख्या को विशेष ध्यान में रखते हुए 2200 परिवारों से मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का डाटा एकत्र करके विश्लेषण किया। व्यापक परिणामों में से यह भी देखा गया कि मनरेगा के माध्यम से जनसंख्या को पर्याप्त से अधिक मात्रा में रोजगार मिला है। इन्होंने पाया कि ग्रामीण गरीबों विशेषकर SC/ST लघु एवं सीमान्त किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को लाभान्वित करने में मनरेगा की बड़ी भूमिका है।
2. **ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मनरेगा समीक्षा (2012)** के अनुसार 40% कुल व्यक्ति दिवस रोजगार SC/ST वर्गों को प्राप्त हुआ। इसके आधार पर यह भी कहा गया कि मनरेगा से सर्वाधिक लाभ SC/ST वर्ग को ही प्राप्त हो रहा है एवं उनकी आय में वृद्धि हुई है।
3. **कुरूक्षेत्र, फरवरी (2013)** इस लेख में मध्य प्रदेश तथा इन्दौर जिले में मनरेगा के अन्तर्गत हुई प्रगति एवं एस0 सी0 / एस0 टी0 की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन की अवधि योजना 2006 से 2011 तक की ली गई है। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने, गरीबी दूर करने, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की अद्भुत, महत्वाकांक्षी, व्यापक वित्तीय योजना 'मनरेगा' अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। जैसा कि सम्पूर्ण अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि एस0 सी0 / एस0 टी0 की महिलाओं के सशक्तिकरण और निर्धनता उन्मूलन में सफल योजना साबित हो रही है।
4. **निकिता ओसवाल (2014)** ने अपने शोध पत्र में बताया कि हरियाणा राज्य के अकुशल श्रमिकों को मजदूरी देने में सबसे आगे है। अनुसूचित जातियों को राष्ट्र तथा राज्य के औसत दर से अधिक मानव सृजित दिवस दिया गया। लाभार्थियों को माँग के अनुरूप रोजगार कम दिया गया है।
5. **गोडसे एवं अन्य (2014)** ने अमरावती जिले के 6 गाँवों के 120 प्रतिभागियों का उनके घर पर साक्षात्कार किया। साक्षात्कार के प्रश्न जाति, उम्र आदि जनसांख्यिकीय सूचनाओं के साथ उनकी आर्थिक स्थिति, रोजगार, सामाजिक सहभागिता से सम्बन्धित थे। परिणामों से ज्ञात हुआ कि 66.67 प्रतिशत प्रतिभागियों पर मनरेगा का प्रभाव था एवं 18.33 प्रतिशत उच्च प्रभाव था वार्षिक आय रोजगार सृजन एवं भौतिक साधनों पर अधिकार में सार्थक वृद्धि देखी गई।
6. **यादव, आशा (2014)** ने कानपुर जिले के 6 गाँवों में 180 लोगों पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लाभान्वितों में अशिक्षितों, अनुसूचित जातियों एवं पुरूषों की संख्या अधिक थी। इन सभी की शत–प्रतिशत सहमति थी कि मनरेगा से जीविका की सुरक्षा हुई है। 98% प्रतिभागियों ने माना कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
7. **हरिनन्दन कुशवाहा, भारतीय देवी (2018)** ने अपने शोध पत्र हरदोई जिले में एस0 सी0 / एस0 टी0 महिलाओं का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि बी0 पी0 एल0 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और एस0 सी0 / एस0 टी0 परिवारों पर मनरेगा योजना का मिला–जुला प्रभाव रहा है। इन्होंने अपने अध्ययन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर अध्ययन किया। सकारात्मक प्रभाव के अन्तर्गत अधिकांश श्रमिकों को रोजगार के बारे में जानकारी है और जॉब कार्ड भी बना है। जिससे उनको गाँव में ही रोजगार की प्राप्ति भी हुई है और अपने ही गाँव में

रोजगार भी मिल रहा है और अपने परिवार की देख–भाल भी कर पा रहे हैं, और साथ ही मजदूरी खाते में आने से बिचौलियों से छुटकारा भी मिला है। नकारात्मक प्रभाव के अन्तर्गत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है और महिलाओं को भी प्रतिदिवस रोजगार नहीं मिल रहा है। गाँव के प्रधान, पंचायत मित्र तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई।

8. **कुमारी रिंकी (2019)** के अनुसार बिहार में गरीबी तथा बेरोजगारी से उत्पन्न दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मनरेगा योजना सफल साबित हो रही है, मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले रोजगार से गरीबी दूर हो रही है और भविष्य में भी ग्रामीण रोजागर के प्रतिशत में भी वृद्धि करते हुए ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन से हमारे देश के विकास के मार्ग में पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 'मनरेगा' योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धनता उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रही है। मनरेगा योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में बेरोजगारी में भी कमी आयी है, साथ ही अधिकांश अनुसूचित जाति के श्रमिकों को रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनका जॉब–कार्ड भी बना है जिससे उन्हें गाँव में ही रोजगार की प्राप्ति हुई है। मनरेगा योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में भी सहायक रही है। चूँकि उनकी मजदूरी खाते में आती है तो उन्हें बिचौलियों से भी छुटकारा मिला है। मनरेगा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे उनकी गरीबी भी दूर हो रही है। मनरेगा योजना इन श्रमिकों के रोजगार सृजन के साथ–साथ भौतिक साधनों को भी अधिक प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न अध्ययनों द्वारा स्पष्ट है कि मनरेगा योजना का अधिकांश लाभ अनुसूचित जातियों के श्रमिकों को प्राप्त हुआ है जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के श्रमिकों को लाभान्वित करने में मनरेगा योजना की अहम भूमिका रही है। इस योजना द्वारा अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम प्रधान तथा अन्य कर्मचारियों के द्वारा योजना में ईमानदारी, पारदर्शिता तथा सही क्रियान्वयन व मूल्यांकन, चयन की प्रक्रिया में भेद–भाव न किया जाय।

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मनरेगा योजना केन्द्रीय स्तर पर लागू एक ऐसी योजना है जिससे पूरे देश में समानता व आर्थिक सशक्तता को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिल रहा है जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की समाजिक एवं आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मजूमदार डी0 एन0 – 1952 रेसेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया : एशिया पब्लिकेशन हाउस, बम्बई।
2. आहूजा – 1995 भारतीय सामाजिक व्यवस्था : रावत पब्लिकेशन ,जयपुर।
3. शर्मा के0 एल0 – 1995 भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, दिल्ली।
4. हक टी – 2011 सोशियो इक्नोमिक इम्पैक्ट ऑफ इमप्लिमेण्टेंशन ऑफ मनरेगा इन इण्डिया सेज पब्लिकेशन
5. मनरेगा समीक्षा – 2012 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
6. कुरूक्षेत्र, फरवरी (2013), गाँवों में रोजगार का सुलभ साधन मनरेगा (agganuaon. maen-raojagara. Kaa-Sauladhana, Manaregaa/content-type, page/47916
7. गोडसे इटआल – 2014 इम्पैक्ट ऑफ मनेरगा ऑन द बेनीफिसयरीज इएटरनेशनल जर्नल ऑफ होम साइन्स, मैनेजमेन्ट– (2) : 102–105
8. यादव , आशा – 2014 इम्पैक्ट ऑफ रूरल एम्प्लायमेन्ट गारटी एक्ट इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट आइजे एच एसइसीएम 1 (2) : 76–79
9. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 जनता के लिए प्रतिवेदन 2 फरवरी 2015 पृष्ठ 3
10. कुशवाहा हरिनन्दन, भारती देवी (2018) – मनरेगा योजना एवं निर्धनता : उत्तर प्रदेश के एक गाँव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (शोध मंथन, 2018 ISSN : (P) : 0976-5255 (e) : 2454-339X, Impact Factor : 5463 (SIIF)
11. कुमारी रिंकी (2019) ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा योजना का योगदान बिहार के सन्दर्भ में Remarking An Anailsation Vol-4 ISSUE-I (Part-2) April – 2019

12. http://www.gov.in
13. http://www.nregs.nic.in
14. http://www.up.india.gov.in
15. http://anubooks.com? Page –id = 581
16. https://www.rsedublog.in/nirdhanta
17. https://www.scotbuzz.org/2019/06/anusoochit-jati-ka.arth.html.